रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2717] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2015/अग्रहायण 25, 1937
No. 2717] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015/AGRAHAYANA 25, 1937

विद्युत मंत्रालय

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2015

का.आ. 3415 (अ).— जबकि मेसर्स इंड बाराथ एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 30-ए, रोड नं. 1, फिल्म नगर, जुबली हिल्स, हैदराबाद- 500096 पर है, ने 400 केवी रायगढ़-राउरकेला डी/सी के दूसरे सर्किट के एलआईएलओ प्वाइंट से 765/400 केवी झारसुगुडा पूलिंग स्टेशन से 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10 मई, 2011 के पत्र सं. 11/2/2010-पीजी (आईबीपीआईएल) के अनुसार निम्नलिखित निर्माण कार्यों के क्षेत्र के साथ 400 केवी इंड बाराथ प्लांट (2x350 मे.वा.) से झारसुगुडा डी/सी लाइन के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 की उप धारा (i) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

(i) विद्युत उत्पादन विकासकर्ता द्वारा एक समर्पित लाइन के रूप में विकसित किए जाने के लिए झारसुगुडा स्टेशन पर सम्बद्ध लाइन बेज के साथ 400 केवी इंड बाराथ टीपीएस-765/400 केवी झारसुगुडा पूलिंग स्टेशन, डी/सी लाइन (ट्विन मूज)

(ii) झारसुगुडा पूलिंग स्टेशन के विकसित होने तक इंड-बाराथ प्लांट पर वर्तमान 400 केवी राउरकेला-रायगढ़ डी/सी लाइन के दूसरे सर्किट का एलआईएलओ विद्युत उत्पादन विकासकर्ता द्वारा विकसित किया जाना है। जो अंतरिम प्रबंध है।

और जबकि, आवेदक ने, अब, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो निम्नलिखित कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्थापित या रख-रखाव किए गए टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित या रख-रखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों के लिए टेलीग्राफ लाइनें और खंबे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है:

(i) 400 केवी रायगढ़ – राउरकेला डी/सी के दूसरे सर्किट के एलआईएलओ प्वाइंट से 765/400 केवी झारसुगुडा पूलिंग स्टेशन (ट्विन मूज) तक 400 केवी डी/सी का निर्माण।

इस स्कीम के अंतर्गत पारेषण लाइन निम्नलिखित तहसीलों, ताल्लुकों, मंडलों, ब्लॉकों, गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आसपास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

क्रम सं.	गांवों का नाम	तहसील	जिला
1.	केनापल्ली, कुरगा, रंगियामुंडा, टंगरपल्ली, भुवनेश्वरपुर, नगधी, उजलपुर, कौरबगा, मुंडागांव, माहुलपल्ली	टांगरपल्ली	सुंदरगढ़
2.	बगियापरहा, कटीपारा, संगीपल्ली, चाकुले, भरतपुर, बड़ाबंगा, छतबंगा, माहीकनी, मेदिनपुर, नाकादिहमुंडा, रायबागा, झाराकनी, नुआदिही, तेनसरपरहा, सहजबहल, लोकदेगा, झारगांव	लेपरीपडा	सुंदरगढ़
3.	बलंगीबहल, निकिलमल, कादिलमुंडा, कोएलगा, बाराखांडिया, चाराभती, राजपुर, जुननीमुंडा, मंडलिया, चौकनी	झारसुगुडा	झारसुगुडा
4.	चौलीबेरना	लखनपुर	झारसुगुडा

इसलिए, अब सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, आवेदक को वे सभी शक्तियां प्रदान करता है जो ऊपर उल्लेखित पारेषण लाइन की स्थापना के लिए निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने के उद्देश्यों हेतु टेलीग्राफ लाइनें लगाने और खंबे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास होती है, अर्थात-

(i) अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है,

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी,

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, आसान पहुंच आदि के बारे में समुचित आयोग के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक को उत्पादन विकासकर्ता द्वारा समर्पित लाइन के रूप में विकसित किए जाने के लिए झारसुगुडा पूलिंग स्टेशन पर संबद्ध लाइन बेज के साथ 400 केवी इंड बाराथ टीपीएस-765/400केवी झारसुगुडा पूलिंग स्टेशन डी/सी लाइन (ट्विन मूज) के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 27.09.2014 से 3.10.2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(v) आवेदक संबंधित राज्यों/केंद्र सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा,

(vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vii) मेसर्स इंड-बाराथ एनर्जी (उत्कल) लिमिटेड को विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा.सं.164/ईआर/पीएसपीएंडपीए-I-2015/इंड-बाराथ]

पी.डी. सिवाल, सचिव

MINISTRY OF POWER

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 12th December, 2015

S.O. 3415(E).— Whereas M/s. Ind- Barath Energy (Utkal) Limited, the applicant with its Registered Office at Plot No. 30 – A, Road No. 1, Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad – 500096 has applied for approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of 400 kV D/C transmission line from LILO point of 2nd circuit of 400 kV Raigarh – Rourkela D/C to 765/400 kV Jharsuguda Pooling Station.

And whereas Government of India, Ministry of Power vide letter No. 11/2/2010-PG (IBPIL) dated 10.05.2011 had granted prior approval under sub-section (i) of Section 68 of the Electricity Act, 2003 for construction of 400 kV Ind Barath Plant (2 X 350 MWs) to Jharsuguda D/C line with following scope of works:

(i) 400 kV Ind Barath TPS – 765/400 kV Jharsuguda Pooling Station D/C line (twin moose) with associated line bays at Jharsuguda station to be developed as a dedicated line by the generation developer

(ii) Till the time Jharsuguda Pooling Station is developed, LILO of 2nd circuit of the existing 400 kV Rourkela – Raigarh D/C line at Ind – Barath plant would be the interim arrangement to be developed by the generation developer.

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for the following works:

(i) Construction of 400 kV D/C from LILO point of 2nd circuit of 400 kV Raigarh – Rourkela D/C to 765/400 kV Jharsuguda Pooling Station (twin moose)

The Transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following tehsils, talukas, mandals, blocks, villages, towns and cities :-

Name of the villages	**Tehsil**	**District**
Kenapalli, Kurga, Rangiamunda, Tangarpalli, Bhubaneswarpur, Nagadhi, Ujalpur, Kaurbaga, Mundagaon, Mahulapali.	Tangarpali	Sundargarh
Baghiaparha, Katipara, Sangipali, Chakule, Bharatpur, Badabanga, Chhatbanga, Mahikani, Medinpur, Nakadihmunda, Raibaga, Jharakani, Nuadihi, Tainsarparha, Sahajbahal, Lokdega, Jhargaon.	Lepripada	Sundargarh
Balangibahal, Nikilmal, Kadilmunda, Koilaga, Barakhandia, Charabhati, Rajpur, Junanimunda, Mandlia, Chaukani	Jharsuguda	Jharsuguda
Chualiberna	Lakhanpur	Jharsuguda

Now, therefore, after careful consideration, Central Electricity Authority, Government of India confers, under 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission line, namely:-

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc .., framed under Electricity Act, 2003

(iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for construction of 400 kV Ind Barath TPS – 765/400 kV Jharsuguda Pooling Station D/C line (twin moose) with associated line bays at Jharsuguda Pooling Station to be developed as a dedicated line by the generation developer. The details of the works are published in the Gazette of India dated 27.09.2014 to 03.10.2014.

(v) The Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States/Central Government;

(vi) The approval is subject to compliance by Applicant of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under.

(vii) M/s Ind- Barath Energy (Utkal) Limited will need to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from Aviation & Defence authorities at the time of Electrical Inspection.

[F.No. 164/ER/PSP&PA-I-2015/Ind-Barath]

P. D. SIWAL, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.